(110)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री के0सी0 जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1569—तीन/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06—11—2006 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार सेमरिया, तहसील सिरमौर, जिला—रीवा के प्रकरण क्रमांक 05/अ—74/2008—09

.....

रामनाथ पटेल तनय श्री रामस्वरूप पटेल
निवासी—ग्राम बरी तहसील सिरमौर
जिला—रीवा, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1— चन्द्रिका प्रसाद तनय बशिष्ठ नाई
निवासी—ग्राम गरौ तहसील सिरमौर, जिला—रीवा, म0प्र0

2— जगदीश प्रसाद तनय श्री विशेषर
निवासी—कृष्णा कालोनी बास नाका घड़ी
साज का बगीचा, टिकुरिया टोला, सतना
तहसील—रघुराज नगर, जिला—सतना, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा एवं श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज़ दिनांक 22/09/16 को पारित)

यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार सेमरिया, तहसील सिरमौर, जिला—रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक 05/अ—74/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 06—11—2006

के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम बैरा स्थित विवादित भूमि आराजी नं0 1298 के अंश रकबा 0.21 ए0 का व्यवस्थापन नायब तहसीलदार सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 1/अ–74/72–73 आदेश दिनांक 23.1.73 से अनादेक क्र0 2 जगदीश प्रसाद के नाम व्यवस्थापन किया गया । व्यवस्थापन पश्चात अनावेदक क्र0 1 ने आवेदक रामनाथ पटेल को उक्त आराजी के अंश रकबा 0.14 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया, जिसका नामांतरण नायब तहसीलदार वृत्त शाहपुर, तह0 सिरमोर के प्र0क्र0 38/अ–6/97–98 आदेश दिनांक 31.12.98 से आवेदक रामनाथ पटेल के नाम स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया जो दिनांक दिनांक 17.04.06 में एकपक्षीय कार्यवाही की गई । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा तहसीलदार सेमरिया के न्यायालय में अपील पेश किया गया जो प्रकरण क्रमांक 05/अ–74/2008–09 में दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 06–11–2006 को अपील अस्वीकार किया जाकर अनावेदक चंद्रिका प्रसाद का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिये
बिना ही आदेश पारित किया गया । तहसीलदार द्वारा इस कानूनी बिन्दू पर विचार नहीं किया है कि प्रकरण में इन्ही पक्षकारों के मध्य इस फेक्ट पर राजस्व मण्डल से स्थंगन आदेश जारी किया गया है जिसका पालन न करते हुये न्यायालय अवमानना की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की गई है । जब प्रकरण उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी वाद विषय पर वरिष्ठ न्यायालय में कार्यवाही संचालित है तब अधीनस्थ न्यायालय को उन्हीं पक्षकारों के मध्य उन्हीं विषय पर आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है । इसी कारण आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । फलतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

3/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया। अभिलेख से प्रकट होता है कि अनावेदक स्वयं तथा साक्षी

अजनी कुमार पटेल एवं रामानुज रजक आदि के कथन कराये गये, जो अनावेदक के दावा को सही बताया है तथा अनावेदक का कब्जा बताया है । नायब तहसीलदार सिरमौर वृत्त शाहपुर के प्र0क्र0 27/अ–6–अ/97–98 आदेश दिनांक 16.09.98 से अनावेदक का कब्जा वर्ष 1997–98 में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया, जिसकी अपील आवेदक रामनाथ पटेल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर न्यायालय में की गई, जो प्र0क्र0 550/अ–6–अ/2000–01 आदेश दिनांक 29.09.2001 से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.09.98 निरस्त कर दिया गया। जिससे परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा न्यायालय में अपील पेश किया, जो प्रकरण क्रमांक 50/अपील/2001–02 आदेश दिनांक 17.04.2006 द्वारा तहसीलदार की ओर प्रत्यावर्तित कर गुण–दोष के आधार पर तथा मूल भूमिस्वामी को तलब कर आदेश पारित हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार सेमरिया द्वारा अपर आयुक्त रीवा के निर्देशों का पालन न करते हुये विधि के विपरीत आदेश पारित कर अनावेदक चन्द्रिका प्रसाद का कब्जा वर्ष 2009–10 में दर्ज करने की स्वीकृति दे दी । तहसीलदार सेमरिया का अवैधानिक आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.11.09 निरस्त किया जाता है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड किया जावे ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर